न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 133/2024

वादी :– नेकाराम पुत्र स्व. भबूतराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी कृषि फार्म प्रिहारों की ढीमडी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**– 15/01/25

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक ३ तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 699 रकबा 0.5663 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार 86 है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के पिता भबूतरामजी के नाम दर्ज थी तथा भबूतरामजी फौत हो चुके है तथा स्व. भबूतराम जी का वंशावली वृक्ष वाद के पैरा सं. 2 के अनुसार है। उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार मबूतराम जी फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि भबूतराम जी के वारिस वादी नेकाराम पुत्र भबूतराम, भबूतराम के पुत्र स्व. पूनाराम के वारिस राजेन्द्र पुत्र पूनाराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम, कन्यादेवी पुत्री पूनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम व कमलादेवी पत्नी पूनाराम, जीयादेवी पुत्री भबूतराम, सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम, जमकूदेवी पत्नी भबूतराम के नाम फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 7663 द्वारा राजस्य रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में दर्ज हुई तथा जमकूदेवी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 8168 द्वारा जमकूदेवी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में जमकू देवी के वारिस वादी नेकाराम पुत्र भबूतराम, भबूतराम के पुत्र स्व. पूनाराम के वारिस राजेन्द्र पुत्र पूनाराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम, कन्यादेवी पुत्री पूनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम व कमलादेवी पत्नी पूनाराम, जीयादेवी पुत्री भबूतराम, सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम के नाम दर्ज हुई तथा भबूतराम व जमकूदेवी फौत होने पर उनके वारिस वादी नेकाराम पुत्र भबूतराम को 1/4 हिस्सा, भबूतराम के पुत्र स्व. पूनाराम के वारिस राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा व कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, जीयादेवी पुत्री भबूतराम को 1/4 व० हिस्सा, सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम को 1/4 व० हिस्सा निहित हुआ। जीयादेवी पुत्री भबूतराम व सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम ने अपना निहित 1/4-1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 24.05.2018 द्वारा स्व. भबूतराम के वारिस वादी नेकाराम पुत्र भबूतराम, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम व चन्द्रपकाश पुत्र पूनाराम को बहिस्सा बराबर हकतर्क कर दिया तथा उपरोक्त हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2188 स्वीकृत किया गया तथा हकतर्क भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में वादी नेकाराम, राजेन्द्र व चन्द्रप्रकाश के नाम दर्ज की गयी। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा से वादी नेकाराम को 1/4 हिस्सा व राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/8 वी हिस्सा व सन्दप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/8 वीं हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार वादी नेकाराम को जरिये उत्तराधिकार 1/4 हिस्सा व हकतर्कनामा के जरिये 1/4 हिस्सा कुल 1/2 हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हुआ। इसी प्रकार राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को जरिये उत्तराधिकार 1/24 व० हिस्सा व हकतर्कनामा के जरिये 1/8 व० हिस्सा कुल 1/6 हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हुआ, इसी प्रकार चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को जरिये उत्तराधिकार 1/24 व० हिस्सा व हकतर्कनामा के जरिये 1/8 वाँ हिस्सा कुल 1/6 हिस्सा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हुआ। कमलादेवी पत्नी पूनाराम ने अपने निहित 1/24 व० हिस्सा में से 1/3 हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/72 वीं हिस्सा रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 31.05.2018 द्वारा खीयाराम, स्वरूपराम पिसरान स्व. पुखाराम को बख्शीश कर दिया तथा उक्त बख्शीश के बाद कमलादेवी का 1/24 व० हिस्सा में से शेष 2/3 व० हिस्सा यानि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/36 व० हिस्सा शेष रहा। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर खीयाराम पुत्र पुखाराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/144 व० हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से 1/144 व० हिस्सा निहित हुआ। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 8201 स्वीकृत किया गया तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में बख्शीशसुदा भूमि खीयाराम, स्वरूपराम व शेष भूमि कमलादेवी के नाम दर्ज की गयी। इस प्रकार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी नेकाराम को 1/2 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा व कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/36 व० हिस्सा, खीयाराम पुत्र पुखाराम को 1/144 व० हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 1/144 व० हिस्सा निहित हुआ। उपरोक्त निहित हिस्सा का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 में तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश उल्लेख नही किया। जमाबन्दी सम्वत् 2068 से सत्ता के आगे की जमाबन्दी यानि चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 कके खतौनी के समय खसरा संख्या छिपाल जमाव अलग किया गया तथा अलग खाता संख्या 86 के खतौनी के समका त्यात पटवारी द्वारा लिपिकीय भूलवश सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि कमलादेवी, खीयाराम व स्वरूपराम के नाम दर्ज कर दी तथा हिस्सा भी लिपिकीय भूलवश गलत लिखे है। जबकि खाता संख्या 86 का सही इन्द्राज वादी नेकाराम को 1/2 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा व कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 व० हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/36 व० हिस्सा, खीयाराम पुत्र पुखाराम को 1/144 व० हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 1/144 व० हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। वादी नेकाराम को उपरोक्त लिपिकीय भूल की जानकारी होने पर वादी नेकाराम द्वारा प्रतिवादी से चालु जमाबन्दी में लिपिकीय भूलवश दर्ज गलत इन्द्राज के स्थान पर सही इन्द्राज उपरोक्त अनुसार दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी सक्षम नहीं है अपितु श्रीमान सक्षम है, इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में दर्ज गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हिस्सा 398/583, खीयाराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 के स्थान पर सही इन्द्राज वादी नेकाराम को 1/2 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा व कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/36 हिस्सा, खीयाराम पुत्र पुखाराम को 1/144 हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 1/144 हिस्सा दुरुस्त किये जाने हेतु यह वाद बाबत् रेकर्ड दुरुस्ती का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में कमलादेवी, खीयाराम, स्वरूपराम व चन्द्रप्रकाश, राजेन्द्र, कन्यादेवी, मुन्नीदेवी, लक्ष्मीदेवी को पक्षकार नही बनाया है क्योकि वो प्रस्तुत याद में आवश्यक पक्षकार नहीं है क्योकि चालु जमाबंदी में जो लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज किया गया है वो हल्का पटवारी द्वारा किया गया तथा हल्का पटवारी प्रतिवादी के अधीनस्थ राजस्व कर्मचारी है, इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में मात्र प्रतिवादी को पक्षकार बनाया है। वादकारण हल्का पटवारी द्वारा चालु जमाबन्दी के खतौनी के समय लिपिकीय भूलवश वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार व उनके हिस्सों के सम्बंध में गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हिस्सा 398/583, खीयाराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 के रूप में किया, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी में सही इन्द्राज वादी नेकाराम को 1/2 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा व कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/36 वाँ हिस्सा, खीयाराम पुत्र पुखाराम को 1/144 हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 1/144 व० हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। चालु जमाबन्दी में दर्ज उपरोक्त गलत इन्द्राज की जानकारी वादी को होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी से सम्पर्क किया तथा उपरोक्त दर्ज गलत इन्द्राज के स्थान पर उपरोक्त सही इन्द्राज अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया तो उनके द्वारा वादी के निवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु माननीय न्यायालय समक्ष है। इसलिए वादकारण बमुकाम् ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 699 रकबा 0.5663 हैक्टेयर की चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हिस्सा 398/583, खीयाराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम हिस्सा 185/1166 के स्थान पर सही इन्द्राज नेकाराम को 1/2 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पूनाराम को 1/6 हिस्सा व कन्यादेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, मुन्नीदेवी पुत्री पूनाराम को 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम को 1/36 हिस्सा, खीयाराम पुत्र पुखाराम को 1/144 हिस्सा व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 1/144 हिस्सा दुरुस्त किये जाने का आदेश/डिक्री फरमावे तथा आदेशानुसार दुरुस्ती का म्यूटेशन दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 की राजस्व सीमा में स्थित खसरा नंबर 699 रकबा 0.5663 हैक्टयर चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में सहखातेदार कमलादेवी पत्नी पुनाराम हि. 398/583, खीयाराम पुत्र पुखाराम 185/1166, स्वरूपराम पुत्र पुखाराम हि. 185/1166 के नाम दर्ज है। चालु जमाबंदी संलग्न हैं। जमाबंदी चौसाला 2068 से 2071 में दर्ज इन्द्राज अनुसार खसरा सं. 699 की भूमि खातेदार भबूतराम पुत्र उम्मेदाराम के नाम दर्ज थी। तथा भबूतराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. सं. 8168 के जरिये भबूतराम के स्थान पर उनके वारिस- नेकाराम पुत्र भबूतराम, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम, कन्यादेवी पुत्री पूनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम, कमलादेवी पत्नि पुनाराम, जीयादेवी पुत्री भबूतराम, सुशीलादेवी पुत्र भबूतराम के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 संलग्न है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज इन्द्राज अनुसार खातेदार झमकूदेवी के फौत होने पर उनके वारिस- नेकाराम पुत्र भबूतराम, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम, कन्यादेवी पुत्री पुनाराम, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम, कमलादेवी पत्नि पुनाराम, जीयादेवी पुत्री भबूतराम सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम के नाम दर्ज हुए। जमाबंदी 2068 से 2071 की नकल संलग्न है। खातेदार भबूतराम व सहखातेदार झमकूदेवी के फौत होने पर खसरा नंबर 699 में से उनके वारिस- नेकाराम पुत्र भबूतराम 1/4 हिस्सा, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम 1/24 हिस्सा, कन्यादेवी पुत्री पुनाराम को 1/24 हिस्सा, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम को 1/24, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम को 1/24 हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नि पुनाराम 1/24 हिस्सा, जीयादेवी पुत्री भबूतराम को 1/4, सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम को 1/4 हि. निहित हुआ। इन हिस्सों का अंकन जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में नही हुआ है। जीयादेवी पुत्री भबूतराम व सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम ने अपना निहित 1/4-1/4 हिस्सा जरिये रजि. हकतर्कनामा दिनांक 24.05.2018 को स्व. भबूतराम के वारिस नेकाराम पुत्र भबूतराम, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम व चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम को बहिस्सा बराबर हकतर्क कर दिया तथा हकतर्कनामा के आधार पर नामा. सं. 8188 द्वारा हकतर्क की गई भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में नेकाराम, राजेन्द्र व चन्द्रप्रकाश के नाम दर्ज हुई। रजिस्टर्ड हकतर्कनामा से नेकाराम को 1/4 हिस्सा व राजेन्द्र पुत्र पुनाराम 1/8 वां हिस्सा, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम को 1/8 वां हिस्सा मिला। इस प्रकार खसरा नंबर 699 में नेकाराम पुत्र भबूतराम का 1/2 हि., राजेन्द्र पुत्र नेकाराम को कुल 1/6 हिस्सा व चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम को कुल 1/6 हिस्सा खसरा सं. 699 में निहित हुआ। उपरोक्त हिस्सों का इन्द्राज जमाबंदी चौसाला 2068 से 2071 में नहीं हुआ। खसरा नंबर 699 रकबा 3-10 बीघा यानि 0.5663 हैक्टयर था परन्तु नामा. में कमलादेवी पत्नी पुनाराम का हिस्सा 1/2 मानते हुए बख्शीश का नामा. सं. 8201 दर्ज किया गया, जो अशुद्ध प्रविष्टि है। नामा. सं. 8201 बख्शीश के जरिये कमलादेवी द्वारा 1 बिस्वा 17 बिस्वांशी यानि 0.0149 हैक्टयर खीयाराम, स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को बख्शीश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 699 रकबा 0.5663 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हि. 398/583, खीयाराम पुत्र पुनाराम 185/1166 व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम 185/1166 के स्थान पर सही प्रविष्टि नेकाराम पुत्र भबूतराम 1/2, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम 1/6, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम 1/6, कन्यादेवी पुत्री पुनाराम 1/24, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम 8/525, खीयाराम पुत्र पुखाराम 37/2800, स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 37/2800 हिस्से की दुरुस्ती किये जाने में भूमिधारी की सहमति है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिससे शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र नेकाराम पुत्र भबूतराम पी.डब्ल्यू. 1 का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा सं. 699 ग्राम बिलाडा चक 3 , प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा सं. 573 ग्राम बिलाडा चक 3, प्रदर्श 3 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 की ई प्रति, प्रदर्श 4 खाता सं. 691 ग्राम बिलाडा चक 3 की पुरानी जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की प्रति, आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 का अवलोकन करने पर पाया गया कि भबूतराम पुत्र उम्मेदराम के फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि भबूतराम के वारिस के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन सं. 7663 के जरिये राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। इसी प्रकार जमकूदेवी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन सं. 8168 द्वारा जमकूदेवी के वारिसान के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुये। लेकिन खातेदार भबूतराम व सहखातेदार जमकूदेवी के फौत होने पर वारिसानों के हिस्सों का अंकन जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में नहीं हुआ है। इसी प्रकार जीयादेवी पुत्री भबूतराम व सुशीलादेवी पुत्री भबूतराम ने अपना निहित 1/4-1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 24.05.2018 द्वारा स्व.भबूतराम के वारिस वादी नेकाराम पुत्र भबूतराम, राजेन्द्र पुत्र पूनाराम व चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम को बहिस्सा बराबर हकतर्क कर दिया तथा उपरोक्त हकतर्कनामा के आधार पर म्यूटेशन सं. 8188 स्वीकृत किया गया किन्तु उपरोक्त हिस्सों का इन्द्राज जमाबंदी चौसाला 2068 से 2071 में नहीं हुआ। इसी प्रकार कमलादेवी पत्नी पूनाराम ने अपने निहित 1/12 हिस्सा में से 1 बिस्वा 17 बिस्वांशी का खींयाराम, स्वरूपराम पुत्र स्व.पुखाराम जाति सीरवी निवासी परिहारों की ढीमडी बिलाडा तहसील बिलाडा के पक्ष में बख्शीश कर दिया गया। जबकि तहसीलदार बिलाडा की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर पाया गया कि कमलादेवी पत्नी पूनाराम का बख्शीश के समय केवल 1/24 हिस्सा निहित था अतः उपरोक्त त्रुटियां जो लिपिकीय भूलवश गलत इन्द्राज की गई, उनको दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 699 रकबा 0.5663 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हि. 398/583,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खीयाराम पुत्र पुनाराम 185/1166 व स्वरूपराम पुत्र पुखाराम 185/1166 के स्थान पर सही प्रविष्टि नेकाराम पुत्र भबूतराम 1/2, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम 1/6, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम 1/6, कन्यादेवी पुत्री पुनाराम 1/24, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम 8/525, खीयाराम पुत्र पुखाराम 37/2800, स्वरूपराम पुत्र पुखाराम को 37/2800 हिस्से की राजस्व रेकर्ड में घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/01/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादी**
नेकाराम राजस्थान सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या :- 133/2024

निर्णय **दिनांक :-** 15/01/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री मदन लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 699 रकबा 0.5663 हैक्टयर की चालू जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में दर्ज गलत इन्द्राज कमलादेवी पत्नी पुनाराम हि. 398/583, खीयाराम पुत्र पुनाराम 185/1166 व स्वरुपराम पुत्र पुखाराम 185/1166 के स्थान पर सही प्रविष्टि नेकाराम पुत्र भबूतराम 1/2, राजेन्द्र पुत्र पुनाराम 1/6, चन्द्रप्रकाश पुत्र पुनाराम 1/6, कन्यादेवी पुत्री पुनाराम 1/24, लक्ष्मीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24, मुन्नीदेवी पुत्री पुनाराम 1/24 हिस्सा, कमलादेवी पत्नी पूनाराम 8/525, खीयाराम पुत्र पुखाराम 37/2800, स्वरुपराम पुत्र पुखाराम को 37/2800 हिस्से की राजस्व रेकर्ड में घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/1/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा